<u>कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में स्थित केन्टीन (जलपान गृह) जिसकी लम्बाई–चौड़ाई कुल 1665 वर्गफिट है, की नीलामी दो वर्ष, **दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2021** तक के लिए, **<u>दिनांक 18.06.2019, 19.06.2019 एवं 20.06.2019 को दोपहर 02:30 बजे जिला न्यायालय परिसर, नजारत अनुभाग अशोकनगर</u>** में की जावेगी अथवा समुचित बोली प्राप्त होने तक नीलामी जारी रहेगी। नीलामी की न्यूनतम बोली रूपये **2,00,000/– (रूपये दो लाख)** होगी।

इच्छुक व्यक्ति उक्त नीलामी में बोली लगा सकता है। बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को ही होगा।

नीलामी के संबंध में आवश्यक शर्तें न्यायालय के नोटिस बोर्ड/नगर का मुख्य चौराहा गांधी पार्क/इन्दिरा पार्क/कुटुम्ब न्यायालय/उपभोक्ता फोरम/कलेक्ट्रेट कार्यालय/तहसील कार्यालय/जिला अस्पताल परिसर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है तथा न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** पर भी उपलब्ध हैं।

27/5/19

(राजेन्द्र सिंह ठाकुर)
अध्यक्ष, क्रय समिति एवं
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)

केन्टीन के ठेके के संबंध में शर्ते

1. जिला न्यायालय परिसर, अशोकनगर में स्थित केन्टीन (जलपान गृह) का ठेका **दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2021** तक दो वर्ष की अवधि के लिये होगा।

2. ठेके में नीलाम बोली लगाने वाले व्यक्ति को रूपये 30,000/– (रूप्ये तीस हजार) अग्रिम राशि बोली लगाते समय अमानत के रूप में जमा कराना होगी।

3. बोली स्वीकृत होने पर नीलामी बोली की आधी राशि कार्यालय में अमानत की राशि को समायोजित कर तत्काल जमा कराना होगी एवं रसीद प्राप्त करना होगी। शेष आधी राशि 06 माह में जमा कराना होगी। राशि जमा न होने की दशा में ठेके की अमानत राशि राजसात हो जावेगी।

4. केन्टीन (जलपान गृह) का समय प्रातः 07:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक रहेगा।

5. केन्टीन ठेकेदार विद्युत, जल एवं साफ–सफाई का व्यय, स्वयं के व्यय पर भुगतान करेगा। यदि ठेकेदार न्यायालय परिसर में स्थित नलकूप से जलआपूर्ति चाहता है तो इस हेतु उसे अपने व्यय पर विद्युत सब–मीटर लगाना होगा व प्रतिमाह जलकर के रूप में 500/–रूपये की राशि उसे संस्था को अदा करना होगी।

6. जल आपूर्ति प्रति दिवस एक घंटे हेतु की जावेगी, यदि जल आपूर्ति कम होती है तो 700/– रूपये प्रतिमाह की दर से दो घंटे की अवधि हेतु जल आपूर्ति लेने का उसे अधिकार रहेगा, जो कि एक इंच की पाईप लाईन या लेजम द्वारा की जावेगी, जिसकी फिटिंग का कार्य कराया जाता है तो वह ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर कराना होगा।

7. ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर आर्कषक रूप से केन्टीन तैयार की जावे, जिसमें हवा, प्रकाश के साथ आगुन्तकों को बैठने के लिये उपयुक्त फर्नीचर ठेकेदार द्वारा रखा जावेगा तथा केन्टीन में जगह–जगह डस्टबिन रखवाये जाकर स्वच्छता का विशेष ध्यान भी ठेकेदार को रखना होगा।

8. केन्टीन के संचालन हेतु खाद्य पदार्थों के मानव उपयोगी अर्थात हाइजेनिक होने के संबंध में ठेकेदार आवश्यक ध्यान रखेगा।

9. ठेका अवधि में केन्टीन में कोई विधि विरूद्ध कार्यकलाप धूम्रपान या पब्लिक न्यूसेंस इत्यादि करने की अनुमति नहीं देगा व कार्यरत कर्मचारीगण साफ स्वच्छ वेषभूषा में रहेंगे व बालश्रम कठोरता से प्रतिबंधित रहेगा।

10. केन्टीन में विक्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत बाजार भाव से अधिक नहीं होगी।

11. बर्तन आदि की साफ सफाई इस प्रकार कराना होगी कि उनसे किसी प्रकार की गंदगी आसपास न फैले।

12. केन्टीन (जलपान गृह) का निरीक्षण समय समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे।

13. निरीक्षण किये जाने पर यदि उक्त शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्रत्येक निरीक्षण पर 500 रूपये (रूपये पांच सौ) अर्थदंड से दण्डित किया जावेगा। यह राशि शासन के पक्ष में राजसात कर जमा की जावेगी।

14. ठेकेदार द्वारा केन्टीन- (जलपान गृह) में फर्नीचर को छोड़कर कोई भी स्थाई निर्माण कार्य संस्था की पूर्व स्वीकृति एवं अनुमोदन के बिना नहीं कराया जावेगा। आवश्यक होने पर संस्था की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संस्था को लिखित में अवगत करायेगा।

15. केन्टीन (जलपान गृह) में अग्नि से बचाव हेतु उचित साधन (पानी अथवा अग्नि शमन यंत्र) आदि की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं के व्यय पर करेगा।

16. किसी भी विवाद की दशा में अंतिम निर्णय संस्था का होगा।

29/5/19

(राजेन्द्र सिंह ठाकुर)
अध्यक्ष, क्रय समिति एवं
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
अशोकनगर (म.प्र.)